29

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है तथा इसमें संक्षेप में चौबीस विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के मूल्यांकन, गठन, कृत्यों, कार्यकाल, शक्तियों एवं कार्य-संचालन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों तथा समितियों द्वारा समय-समय पर अनुसरण की जा रही सुस्थापित परम्पराओं पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी संपूर्ण नहीं है। अतः पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां

वर्ष 1989 (आठवीं लोक सभा) के दौरान नियम समिति ने एक प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे स्वीकृत किया कि (एक) कृषि, (दो) पर्यावरण तथा वन, और (तीन) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रत्येक से संबंधित एक-एक विषय समिति गठित की जाए ताकि संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा संबद्ध सरकारी संगठनों के कार्यकरण पर प्रभावी ढंग से संसदीय निगरानी रखी जा सके। इन समितियों से संबंधित नियम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किए गए तथा 18 अगस्त, 1989 से इन समितियों का औपचारिक रूप से गठन हो गया।

2. इन समितियों के कृत्यों को कुछ समय तक देखने के पश्चात् सभी संबंधित पक्षों के बीच यह आम सहमति हुई कि संसद में एक परिपूर्ण विभागों से संबद्ध स्थायी समिति प्रणाली लागू की जानी चाहिए। दसवीं लोक सभा और राज्य सभा की नियम समितियों के प्रतिवेदनों को दोनों सभाओं में 29 मार्च, 1993 को स्वीकार किया और इससे विभागों से संबद्ध सत्रह स्थायी समितियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया और इनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आ गए। विभागों से संबद्ध इन स्थायी समितियों ने अगस्त, 1989 में स्थापित विषय

समितियों का स्थान ले लिया है। विभागों से सम्बद्ध सत्रह स्थायी समितियां अप्रैल, 1993 से औपचारिक रूप से गठित की गईं।

विभागों से संबद्ध स्थायी समिति प्रणाली के कार्यकरण को एक दशक से अधिक समय तक देखने के पश्चात् जुलाई, 2004 में इसकी पुनर्रचना की गई और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। इन समितियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग आते हैं:—

क्रमांक	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1	2	3
	भाग–एक	
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1) गृह (2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास (2) युवा कार्यक्रम और खेल (3) महिला और बाल विकास
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1) भारी उद्योग और सरकारी उद्यम (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

1	2	3
5.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	(1) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (2) अंतरिक्ष (3) पृथ्वी विज्ञान (4) परमाणु ऊर्जा (5) पर्यावरण और वन
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	(1) नागर विमानन (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग (3) पोत परिवहन (4) संस्कृति (5) पर्यटन
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
8.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	(1) विधि और न्याय (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन
	भाग–दो	
9.	कृषि संबंधी समिति	(1) कृषि (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
10.	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (2) सूचना और प्रसारण
11.	रक्षा संबंधी समिति	रक्षा

1	2	3
12.	ऊर्जा संबंधी समिति	(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (2) विद्युत
13.	विदेशी मामलों संबंधी समिति	(1) विदेश (2) प्रवासी भारतीय कार्य
14.	वित्त संबंधी समिति	(1) वित्त (2) कंपनी कार्य (3) योजना (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
15.	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
16.	श्रम संबंधी समिति	(1) श्रम और रोजगार (2) वस्त्र
17.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस
18.	रेल संबंधी समिति	रेल
19.	शहरी विकास संबंधी समिति	(1) शहरी विकास (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन
20.	जल संसाधन संबंधी समिति	जल संसाधन

4

1	2	3
21.	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	रसायन और उर्वरक
22.	ग्रामीण विकास संबंधी समिति	(1) ग्रामीण विकास (2) पेयजल और स्वच्छता (3) पंचायती राज
23.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	(1) कोयला (2) खान (3) इस्पात
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (2) जनजातीय कार्य (3) अल्पसंख्यक मामले

3. उपर्युक्त भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट समितियां क्रमश: सभापति, राज्य सभा और लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के अंतर्गत कार्य करेंगी।

गठन

4. 13वीं लोक सभा तक, प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते थे जिनमें 30 सदस्य लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लोक सभा से और 15 सदस्य सभापति, राज्य सभा द्वारा राज्य सभा से मनोनीत किये जाते थे। तथापि, जुलाई, 2004 में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की पुनर्रचना के साथ ही विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों में 31 सदस्य होते हैं जिनमें से 21 लोक सभा से और

10 राज्य सभा से होते हैं। प्रत्येक समिति में सदस्य, जहां तक व्यवहार्य हो सदन में विभिन्न दलों तथा वर्गों से उनकी संख्या के अनुपात से लिये जाते हैं। इन समितियों में उचित संख्या में निर्दलीय तथा असंबद्ध सदस्यों को भी स्थान दिये जाते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति में राज्य सभा के सदस्य भी संबंधित समितियों में इसी प्रकार राज्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

सभापति की नियुक्ति

5. भाग-एक में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति के/की सभापति की नियुक्ति सभापति, राज्य सभा तथा भाग-दो में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्थायी समिति के/की सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।

मंत्री समिति के सदस्य नहीं होते

6. कोई मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जा सकता/की जा सकती और यदि सदस्य किसी भी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाता/की जाती है तो वह नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

कार्यकाल

7. प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से एक वर्ष होगा।

कृत्य

8. प्रत्येक स्थायी समिति के कृत्य इस प्रकार हैं:—

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार के कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं दिया जायेगा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा, यथास्थिति, सौंपे गए हैं और उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों जो सभापति, राज्य सभा या अध्यक्ष, लोक सभा यथास्थिति, द्वारा समिति को सौंपे गए हों, पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करतीं।

समितियां उन मामलों पर सामान्यत: विचार नहीं करतीं जिन पर अन्य संसदीय समितियों द्वारा विचार किया जाता है।

7

अनुदानों की मांगों पर विचार से संबंधित प्रक्रिया

9. सभा में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी हो जाने के पश्चात् सभा एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है। समितियां उपर्युक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करती हैं, समितियां उपर्युक्त अवधि के दौरान समय बढ़ाए जाने की मांग किए बिना अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर पृथक प्रतिवेदन होता है। सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर इन समितियों के प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है।

विधेयकों पर विचार से संबंधित प्रक्रिया

10. समिति किसी भी सभा में पुर:स्थापित केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करेगी जिन्हें यथास्थिति सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा उसे सौंपा जाये। समितियां, उन्हें सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धान्तों तथा खण्डों पर विचार करेंगी और उन पर संबंधित सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। समिति दिए गए समय में विधेयकों पर अपना प्रतिवेदन देगी।

वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच

11. अनुदानों की मांगों और समिति को सौंपे गए विधेयकों पर विचार करने के अतिरिक्त संबंधित समितियां अपने क्षेत्राधिकार

के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर जांच के लिए विषयों का चयन कर सकती हैं।

उप-समितियों/अध्ययन दलों की नियुक्ति

12. सभापति प्रत्येक समिति के सदस्यों में से समिति द्वारा चुने गए विषयों के विस्तृत अध्ययन/जांच करने, उसके पूर्व प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही की जांच करने और प्रक्रिया संबंधी सामान्य मामलों पर विचार करने के लिए, अध्ययन दलों/उप-समितियों की नियुक्ति करता/करती है।

विषयों की जांच की प्रक्रिया

जानकारी मंगवाना

13. समितियां सर्वप्रथम उनके द्वारा जांच हेतु चयनित विषयों के बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्रारंभिक सामग्री/पृष्ठाधार टिप्पण मंगवाती हैं। उसके पश्चात् समिति द्वारा जांचाधीन विषयों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी गहन अध्ययन हेतु संबंधित मंत्रालयों/संगठनों से मंगाई जाती है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों से ज्ञापन/साक्ष्य

14. समितियां जांचाधीन विषयों के संबंध में उन प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों आदि से ज्ञापन भी मंगवा सकती

हैं जिन्हें समिति के जांचाधीन क्षेत्र/विषय के बारे में ज्ञान है। वे विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को मौखिक साक्ष्य देने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलवा सकती हैं जिन्होंने जांचाधीन विषयों के संबंध में ज्ञापन दिए हैं।

अधिकारियों का साक्ष्य

15. बाद में स्थायी समितियां जांचाधीन विषयों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेती हैं।

विशेषज्ञों/तकनीकी विशेषज्ञों/सलाहकारों आदि को सहयोजित करना

16. स्थायी समितियां, विषय की जांच के विभिन्न चरणों पर विशेषज्ञों/तकनीकी विशेषज्ञों/सलाहकारों आदि को, यदि आवश्यक हो, सहयोजित करती हैं।

तत्स्थानिक दौरे/अध्ययन दौरे

17. समितियां/समितियों के अध्ययन दल अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा, जैसी भी स्थिति हो, की पूर्व अनुमति से, यदि आवश्यक हो, तो विचाराधीन विषयों से संबंधित विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों के तत्स्थानिक दौरे/अध्ययन दौरे कर सकते हैं।

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

18. प्रत्येक समिति द्वारा जांच किए गए विषय के संबंध में निष्कर्ष इसके प्रतिवेदन में दिये जाते हैं, जो कि संबंधित समिति द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक जांच किये जाने के बाद समिति के/की सभापति द्वारा संबंधित सभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाते हैं। तथापि समिति के सदस्य प्रतिवेदन पर विसम्मति टिप्पण दे सकते हैं और उसे सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश संबंधित प्रतिवेदन के साथ सभा पटल पर रखे जाते हैं।

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

19. समितियों के प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होता है और उन्हें समितियों के सुविचारित परामर्श के रूप में माना जाता है। समिति द्वारा जिन विधेयकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उन पर सभा द्वारा समिति के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। अनुदानों की मांगों से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों पर संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और निष्कर्षों पर कार्यवाही करनी होती है और उस पर तीन महीने के भीतर की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तर भेजने होते हैं।

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-कार्यवाही टिप्पणों की समिति द्वारा जांच की जाती है और उन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करती है।

समिति के प्रतिवेदनों के बारे में मंत्री का वक्तव्य

20. मंत्री छह माह में एक बार संबंधित मंत्रालय के संबंध में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा में एक वक्तव्य देंगे।

[लोक सभा की स्थायी समितियों पर लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ग से 331ढ लागू होते हैं।]